"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016 — वैशाख 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो-क) "भवन अनुज्ञा शुल्क" से अभिप्रेत है ऐसा शुल्क जो कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाये;"

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) व्यावसायिक तथा अन्य गैर-आवासीय भवनों जो धारा 6-क के अधीन नहीं आते हों, पर शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकारी, निम्नलिखित मापदण्ड का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

स. क्र	अनधिकृत सन्निर्माण वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल	देय शास्ति
(1)	(2)	(3)
1.	100 वर्गमीटर तक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा
2.	100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा
3.	200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा
4.	300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा
5.	400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा

(1)	(2)	(3)
6.	500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा
7.	600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा
8.	700 वर्गमीटर से अधिक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा"

(ख) खण्ड (चार) को विलोपित किया जाए.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (तीन) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6-क का संशोधन.

"(ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर निर्मित भवनों के लिये शास्ति की दर निम्नानुसार होगी,-

स. क्र. (1)	भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण (2)	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये में) (3)
1.	120 से 240 वर्गमीटर तक	125
2.	240 से 360 वर्गमीटर तक	200
3.	360 वर्गमीटर से अधिक	300"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 9 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 10 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 21 of 2016)

CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 3.

2. After clause (ii) of sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(ii-a) "Building permission fee" means such fee as is ascertained from time to time under clause (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 21 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984;"

Amendment of Section 6.

3. In sub-section (1) of Section 6 the Principal Act,-

(a) for clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"(iii) For the purpose of imposing penalty on commercial and other non-residential buildings not covered under Section 6-A, the Authority shall follow the following scale, namely :-

S. No.	Plot area having unauthorized Construction	Penalty payable
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 sq meters	16 times of building permission fees.
2.	Above 100 sq meters but less than 200 sq meters.	21 times of building permission fees.
3.	Above 200 sq meters but less than 300 sq meters.	26 times of building permission fees.
4.	Above 300 sq meters but less than 400 sq meters.	31 times of building permission fees.
5.	Above 400 sq meters but less than 500 sq meters.	36 times of building permission fees.
6.	Above 500 sq meters but less than 600 sq meters.	41 times of building permission fees.

(1)	(2)	(3)
7.	Above 600 sq meters but less than 700 sq meters.	46 times of building permission fees.
8.	Above 700 sq meters	51 times of building permission fees"

(b) clause (iv) shall be deleted.

4. For clause (two) of sub-section (iii) of Section 6-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 6-A.**

"(two) The rate of penalty for the buildings constructed on plot areas above 120 sq. mts. shall be as follow ,-

S. No.	Classification on the basis of plot area	Rate per sq. mt. (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	from 120 to 240 sq. mts.	125
2.	from 240 to 360 sq. mts.	200
3.	above 360 sq. mts.	300"

5. In Section 9 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. **Amendment of Section 9.**

6. In Section 10 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. **Amendment of Section 10.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.